(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 26/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नईम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद उम्र 21 वर्ष जाति मुस्लिम निवासी वार्ड नं0 9 अलाउ चौक मॉगरोल जिला बारां (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) मैसर्स शमा किराना स्टोर बारॉ रोड मॉगरोल जिला बारां। मो.नं. 9636078165
2. श्री अब्दुल समद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी 107, मदनचील्ला से ग्वाडिमामा करीम तक, चन्द्रघटा कोटा सिटी कोटा। मैसर्स राजस्थान मिर्च उद्योग, अटल सेवा राम मार्केट, अग्रसेन बाजार रामपुरा कोटा। मो.नं. 9460122086

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री खलील खान गौरी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 24.09.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2018 को मैसर्स शमा किराना स्टोर बारॉ रोड मॉगरोल जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नईम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 15.02.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम** पैकिट में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम** के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री नईम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये) रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम** के पैकिटो को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर प्लास्टिक के साफ सुखे स्वच्छ डिब्बो मे मूल भरकर प्रत्येक डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–795 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–795 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नईम अख्तर पुत्र अब्दुल हमीद ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/80 दिनांक 27.3.2018 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 87/FSSA/Kota/Act/2018/161 दिनांक 15.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम** पैकिट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स शमा किराना स्टोर बारॉ रोड मॉगरोल जिला बारॉ से पत्रांक 85 दिनांक 4.4.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, आई.डी. एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गयी एवं अग्रिम अन्य कोई बिल प्रस्तुत नही किये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अभिभाषक स्वंय उपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम पैकिट** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौराते हुये कहा गया कि मद नं0 1 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नं0 2 कार्यवाही अस्वीकार है। मद नं0 3 कार्यवाही मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। मद नं0 4 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नं. 5 कार्यवाही मिथ्या एवं फर्जी बनावटी तथ्यो पर आधारित है। मद नं. 6 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नं. 7 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नं. 8 कार्यवाही जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। मद नं. 9 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। मद नं. 10 कार्यवाही जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है।

परिवाद मिथ्या एव मदगढन्त तथ्यो पर आधारित है। जिस समय दुकान मालिक अपने किसी काम से घर गया हुआ था। उस समय अन्य कोई व्यक्ति वहॉ बेठा हुआ था। तब उक्त कार्यवाही का सेम्पल लिया गया था। इस कारण प्रार्थी को इसकी जानकारी नही थी। यह कि दुकान के मालिक अब्दुल हमीद का उक्त कार्यवाही के पश्चात गंभीर एक्सीडेन्ट हो गया। जिसके कारण उनका पहले कोटा इलाज करवाया गया तथा वहॉ से जयपुर रेफर कर दिया गया तथा वर्तमान समय मे भी वह पूर्णतया कोमा मे है तथा दुकान पर व्यापार व्यवसाय उनके इलाज एवं देखरेख के कारण बन्द है। प्रार्थी इस समय पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वंय आर्थिक स्थितियों से झूझ रहा है। प्रार्थी के विरूद्व मिसमेच का आरोप निराधार है। क्योकि इससे पूर्व ऐसी कोई अधिसूचना प्रार्थी को कभी प्राप्त नही हुयी कि प्रार्थी को अपने सामग्री की थेली के प्रिन्ट मे और क्या जानकारी जोडना आवश्यक है। इस जानकारी के अभाव मे मिस मेच स्थिति उत्पन्न हुयी है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार भविष्य मे सामग्री की थेली पर प्रिन्ट मे जो निर्देश दिये जायेगे उनका प्रिन्ट करवा दिया जायेगा साथ ही एफ.एस.एस. एक्ट के अनुबंधो की पूर्ण पालना करने हेतु प्रार्थी हमेशा तत्पर रहेगा। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 87/FSSA/Kota/Act/2018/161 दिनांक 15.03.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम पैकिट** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर सग्राट 500 ग्राम पैकिट** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को 10,000/—रूपये, 10,000/— रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 20,000/— रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.25 17:06:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: